



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229012
CG-DL-E-14082021-229012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3056]
No. 3056]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

का.आ. 3304(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3419(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2020, भारत के राजपत्र सं० 3042, दिनांक 30 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में “कांडला-गोरखपुर पाइपलाइन पारियोजना” के अंतर्गत तालुका गोधरा, जिला पंचमहाल में पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन हेतु आई०एच०बी० प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को दिनांक 05 नवम्बर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई०एच०बी० प्राइवेट लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई०एच०बी० प्राइवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : पंचमहाल		राज्य : गुजरात			
तालुका	गाँव	सर्वे नं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे०	वर्ग मीटर
गोधरा	गोल्लाव	68	00	02	54
		62	00	00	99
		61	00	04	15
		60	00	13	97
		58	00	20	58
		57	00	08	32
		56	00	17	07
		86	00	08	27
		87	00	12	70
		36	00	18	60
		37	00	07	42
		25	00	06	27
		24	00	10	33
		26	00	00	20
		27	00	08	93
		28	00	11	10
		30	00	15	31
		1581	00	08	33
		1580	00	10	73
		140	00	23	17
		1576	00	14	81

142	00	00	20
1391	00	22	86
1577	00	19	10
1571	00	08	01
1363	00	23	39
1362	00	09	11
1366	00	11	94
1367	00	18	08
1361	00	00	20
1358	00	00	31
1360	00	14	20
1359	00	01	21
1331	00	21	55
1332	00	00	72
1328	00	06	79
1333	00	09	09
1334	00	03	38
1326	00	00	20
1325	00	20	31
1324	00	08	58
1306	00	02	27
1307	00	13	24
1232	00	14	29
1233	00	12	65
1223	00	09	43
1224	00	10	65
1216	00	01	61
1205	00	10	14

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2021

S.O. 3304(E).— Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3419(E), dated 28 September, 2020, published in the Gazette of the India No-3042 dated 30 September, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur Pipeline Project” for the transportation of LPG in tehsil Godhra, District Panchmahal in the state of Gujarat by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 05 November, 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Panchmahal		State : Gujarat			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
Godhra	Gollav	68	00	02	54
		62	00	00	99
		61	00	04	15
		60	00	13	97
		58	00	20	58
		57	00	08	32
		56	00	17	07
		86	00	08	27
		87	00	12	70
		36	00	18	60
		37	00	07	42
		25	00	06	27
		24	00	10	33
		26	00	00	20

27	00	08	93
28	00	11	10
30	00	15	31
1581	00	08	33
1580	00	10	73
140	00	23	17
1576	00	14	81
142	00	00	20
1391	00	22	86
1577	00	19	10
1571	00	08	01
1363	00	23	39
1362	00	09	11
1366	00	11	94
1367	00	18	08
1361	00	00	20
1358	00	00	31
1360	00	14	20
1359	00	01	21
1331	00	21	55
1332	00	00	72
1328	00	06	79
1333	00	09	09
1334	00	03	38
1326	00	00	20
1325	00	20	31
1324	00	08	58
1306	00	02	27
1307	00	13	24
1232	00	14	29
1233	00	12	65
1223	00	09	43
1224	00	10	65
1216	00	01	61
1205	00	10	14

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.